

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कगाऊ

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गुमनाराम पुत्र सताराम 2. खुमाराम पुत्र सताराम 3. लच्छाराम पुत्र सताराम जातियान जाट निवासीयान राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

1. आदूराम पुत्र कलाराम 2. भोमाराम पुत्र टीकमाराम 3. केशाराम पुत्र टीकमाराम 4. हरखाराम पुत्र कानाराम 5. हेमाराम पुत्र घमाराम 6. मोटाराम पुत्र रूपाराम 7. आसूराम पुत्र रूपाराम 8. चुनाराम पुत्र रूपाराम 9. मुकनाराम पुत्र रूपाराम 10. बाबूराम पुत्र रूपाराम 11. मूलाराम पुत्र पदमाराम 12. जोधाराम पुत्र नारणाराम 13. रामाराम पुत्र हरखाराम 14. पुरखाराम पुत्र लालाराम 15. ठाकराराम पुत्र पूर्णाराम 16. पोकरराम पुत्र लाखाराम 17. गोमाराम पुत्र मूलाराम जातियान जाट निवासी राईकों की ढाणी, कगाऊ 18. मालाराम पुत्र निम्बाराम 19. अमराराम पुत्र अजाराम 20. भारमलराम पुत्र ढेलाराम 21. सगताराम पुत्र चेतनराम 22. खेताराम पुत्र चेतनराम जातियान भील निवासीयान राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-144/2021 दिनांक-13.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईकों की ढाणी, पटवार हलका कगाऊ, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 650/272 रकबा 112.02 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/6584-6587

दिनांक-13/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गुमनाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आदूराम पुत्र कलाराम जाति जाट/भील निवासी राईकों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर